

प्रारूप-22

परियोजना का नाम :-जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में रतखाल से खाल्यू (सीमा-रिष्टना) मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बाँज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 24.11.2017 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बाँज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं :-

क्रसं	भूमि की श्रेणी	वनब्लाक / कम्पार्टमेन्ट / खसरा संख्या 14	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	10-20	20-30	30.40	40-50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	योग
1	आरक्षित वन भूमि	-	-		01	02	-	-	-	-	-	-	-	03
2	सिविल सोयम	-	-		07	06	-	1	-	-	-	-	-	14
3	वन पंचायत	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	संरक्षित वन	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
योग वन भूमि					08	08		1						17
5	नाप भूमि	-	-		10	03	-	-	-	-	-	-	-	13
कुल योग					18	11		1						30

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बाँज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।

बहालक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
सल्ट (अल्मोड़ा)

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

H0/-वन संरक्षक,

अधिसूचित अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
सल्ट (अल्मोड़ा)

उपप्रभागीय वनाधिकारी रानीखेड
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा